फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री जसवन्तसिंह पंवार (एडवोकेट) निवासी तहसील रोड़ भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम **– प्रत्यर्थी**

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 113/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 22.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से जरिये पत्र क्रमांक :– प0सू0अ0/2025/81–82 दिनांक 22.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह पंवार एडवोकेट तहसील रोड़ भीम द्वारा दिनांक 15.10.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। उक्त आवेदन पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना विस्तृत, अस्पष्ट एवं प्रश्नात्मक होकर किसी प्रकार की विशिष्टियां अंकित नहीं की गयी है, जिससे सूचना तक पहूंच बनाया जाना संभव नही है। जो " सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) एवं 6(1)(8) में परिभाषित सूचना में नही आती है। इस संबंध में आवेदक को कार्यालय के पत्रांक 99 दिनांक 10.12.2025 द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 99 दिनांक 10.12.2025 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत, अस्पष्ट एवं प्रश्नात्मक होकर किसी प्रकार की विशिष्टियां अंकित नहीं होने से सूचना तक पहूंच बनाया जाना संभव नही है। जो " सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) एवं 6(1)(8) में परिभाषित सूचना में नही आती है तथा उक्त संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)